भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 319*

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक चिकित्सकों और अनुसंधानकर्ताओं को मान्यता

*319. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री नव चरण माझी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयुर्वेद की पहुंच बढ़ाने और उभरते आयुर्वेदिक चिकित्सकों और अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार के साथ मान्यता प्रदान करने के लिए विशेषकर महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेद अनुसंधान, शिक्षा और नैदानिक चिकित्सा कार्यों के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने हेतु विशेषकर महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की महाराष्ट्र तथा विशेषकर जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए युवा आयुर्वेदिक चिकित्सकों और अनुसंधानकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए पुरस्कार विजेताओं को शामिल करके एक मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की विशेषकर भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित हरियाणा में आयुर्वेदिक अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) युवाओं में आयुर्वेद को बढ़ावा देने और विशेषकर जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 21 मार्च, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 319* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): आयुर्वेद आयुष मंत्रालय के तहत चिकित्सा की एक मान्यता प्राप्त पद्धति है और उभरते आयुर्वेद चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को, इसकी शिक्षा, अनुसंधान और अभ्यास को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलें की जाती हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने आयुर्वेद में अनुसंधान, अभ्यास और प्रसार में असाधारण योगदान दिया है, और इसे प्रतिवर्ष धन्वंतरि जयंती (धनतेरस) पर आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। आयुर्वेद की शिक्षा और अभ्यास को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। वर्तमान में, देश में 562 आयुर्वेद कॉलेज हैं, जिनमें महाराष्ट्र के 132 कॉलेज शामिल हैं। सरकार ने केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) नामक एक शीर्ष केन्द्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना की है जो पूरे देश में 30 संस्थानों/केन्द्रों का प्रचालन करती है।

इसके अलावा, जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तदनुसार, जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेद अवसंरचना में वृद्धि करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, सरकार उन राज्यों में, जहां आयुष शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता अपर्याप्त है, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में, आयुष शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, एनएएम दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अपनी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव भेजकर इस वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकती हैं।

(ग): आयुष मंत्रालय, देश के स्तर पर आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्षमता वर्धन और विकास हेतु आयुर्ज्ञान योजना कार्यान्वित कर रहा है। इसमें सतत आयुष विधियों के माध्यम से स्वास्थ्य पद्धतियों में सुधार करने, पेशेवरों को पेशेवर प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करने, शिक्षकों एवं चिकित्सकों के ज्ञान को अद्यतन करने और आयुष संबंधी गतिविधियों के प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। यह योजना दावों को मान्य करने और वैश्विक बाजार में आयुष दृष्टिकोण तथा औषधियों की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। यह योजना आयुष चिकित्सकों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों की विविध आवश्यकताओं पर ध्यान देती है, शिक्षा, अनुसंधान तथा नवाचार के माध्यम से आयुष पद्धतियों को उन्नत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करती है।

(घ) और (ङ): आयुष मंत्रालय को स्वास्थ्य देखभाल की आयुर्वेद पद्धतियों में अनुसंधान एवं विकास का समन्वय तथा संवर्धन करने और इसके लिए सहायता देने का अधिदेश मिला है। आयुष मंत्रालय, आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता, उनकी लागत-प्रभावशीलता तथा सामान्य बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली जड़ी-बूटियों की उनके दरवाजे तक उपलब्धता के बारे में नागरिकों को ऑडियो-विजुअल शैक्षिक सामग्री तैयार करने सहित विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाता है, ताकि सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आयुष पद्धतियों में आयोजित अनुसंधान और विकास कार्य के सिद्ध परिणामों को मेले के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जहां आयुष

पद्धतियों के हितधारकों के बीच राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर सम्मेलनों, सेमिनारों और मेलों के माध्यम से व्यापक बातचीत हो सके तथा हितधारकों को उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), जो आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, अनुसंधान, नैदानिक देखभाल और सार्वजनिक-पहुंच बनाने के माध्यम से आयुर्वेद की वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में काम करती है। महाराष्ट्र में, सीसीआरएएस अपने परिधीय संस्थानों, अर्थात् केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), मुंबई; क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), नागपुर और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), पुणे के माध्यम से संचालन का कार्य करती है। ये संस्थान आयुर्वेद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नैदानिक सेवाओं तथा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पहलों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

युवाओं के बीच आयुर्वेद को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, सीसीआरएएस ने कई पहलें की हैं। परिषद, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान का प्रसार करती है। यह राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों, स्वास्थ्य शिविरों, प्रदर्शनियों और आउटरीच कार्यक्रमों जैसे अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम और जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी) में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इसके अलावा, सीसीआरएएस की वेबसाइट आईईसी सामग्री के भंडार के रूप में कार्य करती है और व्यापक पहुंच के लिए इसे अन्य संगत प्लेटफार्मों के साथ हाइपरलिंक किया गया है।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली, जो आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, ने आयुष से संबंधित स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सहायता देने के लिए एक इनक्यूबेशन सेंटर यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान-आयुर्वेद नवाचार एवं उद्यमिता इनक्यूबेशन सेंटर (एआईआईए-आईसीएआईएनई) की स्थापना की है। एआईआईए-आईसीएआईएनई ने एआईआईए, नई दिल्ली में स्टार्ट-अप को मार्गदर्शन और विभिन्न नैदानिक सुविधाएं प्रदान की हैं।

आयुर्वेद स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को आयुष क्षेत्र में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें शामिल प्रमुख हितधारक आयुष मंत्रालय, एआईआईए, स्टार्ट अप इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया हैं। आयुष क्षेत्र में अभिनव समाधान तथा उत्पाद पेश करने वाले स्टार्टअप्स को अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्टार्टअप को विभिन्न आयोजनों और कार्यशालाओं के माध्यम से संभावित निवेशकों, उद्योग दिग्गजों और अन्य उद्यमियों से जुड़ने के अवसर मिलते हैं। विजेताओं और होनहार स्टार्टअप को मान्यता मिलती है जो बाजार में उनकी विश्वसनीयता तथा उपस्थिति को बढ़ा सकती है। पहले तीन टॉपर्स को नकद पुरस्कार के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

अनुसंधान को आगे बढ़ाने और आयुर्वेद के छात्रों को कैरियर के रूप में अनुसंधान को अपनाने हेतु प्रेरित करने, अनुसंधान योग्यता को विकसित करने तथा आयुर्वेद में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान की नींव रखने के लिए सीसीआरएएस निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है:

i. आयुर्वेद अनुसंधान केन के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (स्पार्क): अनुसंधान में रुचि और योग्यता को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद स्नातक-पूर्व छात्रों को वित्तीय सहायता।
ii. आयुष पीएच.डी. फैलोशिप: शोध छात्रों के लिए फैलोशिप सहायता।
iii. पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप (पीडीएफ): उन्नत आयुर्वेद अनुसंधान के लिए सहायता।

iv. स्मार्ट कार्यक्रम: आयुर्वेद शिक्षा और तृतीयक देखभाल अस्पतालों के बीच एकीकृत अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना।

v. सीसीआरएएस-एजीएनआई (2023-24): उपचार, औषध-योगों और उपकरणों सहित पांच श्रेणियों में आयुर्वेद पद्धतियों के साक्ष्य-आधारित सत्यापन को बढ़ावा देना।

*****